बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

सं०सं० 1/उ०नि० (समायोजन/नियुक्ति) 03–06/17 पार्ट–II

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल०पी०ए० संख्या 1489/2011 एवं सिविल रिव्यू 344/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा एस०एल०पी० संख्या 32079/2015 में पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के सं० संख्या 945 दिनांक 27.04.2017 एवं निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक–1289 दिनांक–12.06.18 के निदेशानुसार निम्नलिखित अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना अन्तर्गत समूह 'घ' के रिक्त पदों के विरूद्ध वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3590 दिनांक 24.05.2017 के आलोक में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 01 में 18000/– रू० मूल वेतन एवं समय–समय पर दिये गये अन्य भत्तों के आधार पर निम्नांकित शर्त्तों के अधीन परिचारी (आदेशपाल) के पद पर बिल्कुल अस्थायी रूप से समायोजन/नई नियुक्ति करते हुए कॉलम–5 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है :–

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	कोटि	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	[illegible]	[illegible]
1.	श्रीमती विद्यावती देवी	श्री रघुनाथ पाण्डेय	Gen	जिला उद्योग केन्द्र, सिवान।
2	श्रीमती कुमारी कालिन्दी सिन्हा	श्री मधुसूदन सिंह	Gen	जिला उद्योग केन्द्र, छपरा।
3.	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव	स्व० शंकर लाल श्रीवास्तव	Gen	जिला उद्योग केन्द्र, प० चम्पारण, बेतिया।
4.	श्री विजय शंकर मिश्र	स्व० रघुवंश मिश्र	Gen	जिला उद्योग केन्द्र, मोतिहारी।
5.	श्री सुजीत कुमार मिश्र	श्री चन्द्रभूषण मिश्र	Gen	जिला उद्योग केन्द्र, छपरा।
6.	श्री काशीनाथ चौबे	श्री अवधेश चौवे	Gen	जिला उद्योग केन्द्र, सिवान।

1. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है। किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।
2. शैक्षणिक योग्यता को सत्यापन के क्रम में गलत पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकती है।
3. उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना में योगदान के समय समर्पित प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के माध्यम से प्रमाणित शपथ पत्र (Affidavit) में **I.** जन्मतिथि का प्रमाण पत्र **II.** योग्यता का प्रमाण पत्र **III.** 26, फरवरी 2016 तक या उससे पूर्व व्यक्ति के रूप में नाम से (By name inperson) माननीय उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर करने का प्रमाण पत्र **IV.** तीन वर्षों तक लगातार अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के रूप में कार्य करने का प्रमाण–पत्र एवं अन्य सभी सूचनायें उनकी जानकारी में सही हैं, का उल्लेख किया गया है।
4. पदस्थापित कार्यालय में योगदान के समय असैनिक –सह– शल्य चिकित्सा पदाधिकारी का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. यदि भविष्य में कोई भी सूचना/तथ्य असत्य या भ्रामक पायी जाएगी तो सेवा समाप्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
6. इस नियुक्ति में राज्य में प्रवृत नई पेंशन योजना लागू होगी। पूर्व की सेवा की गणना नहीं की जाएगी तथा पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
7. पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आई०डी० कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

ह०/–
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक /पटना, दिनांक

सं०सं० 1/उ०नि० (समायोजन/नियुक्ति) 03–06/17 पार्ट–II

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार सिवान/प० चम्पारण, बेतिया/छपरा/मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5545 /पटना, दिनांक 11.12.18

सं०सं० 1/उ०नि० (समायोजन/नियुक्ति) 03–06/17 पार्ट–II

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1289 दिनांक 12.06.18 के क्रम में/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान/प० चम्पारण, बेतिया/छपरा/मोतिहारी/आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।
10.12.18